



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/स.अ./स्थाना.स्टे./पार्ट/16/

जयपुर, दिनांक :-

2294
9/6/17

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 4158 दिनांक 7.10.16 द्वारा श्री बालकृष्ण कोटेड, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, डूंगरपुर (डूंगरपुर) का स्थानान्तरण/पदस्थापन पं.स. आनन्दपुरी (बांसवाडा) किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनके कार्यालय डायरी क्रमांक 2685 दिनांक 26.4.17 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
3. जिला कलेक्टर, डूंगरपुर/बांसवाडा ।
4. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, डूंगरपुर/बांसवाडा ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगरपुर/आनन्दपुरी (बांसवाडा) ।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. श्री बालकृष्ण कोटेड, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, डूंगरपुर (डूंगरपुर) ।
8. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव